

महाराष्ट्र शासन
उद्योग संचालनालय
जिला उद्योग केंद्र, कोल्हापुर
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

पात्रता

राज्य के स्थानिक रहवासी और 18 से 45 वर्ष की आयुवाले किसान
वह उम्मीदवार जो स्वरोजगार के लिए इच्छुक है,

विशेष श्रेणियों के लिए -

अनुसूचितजाती/जनजाती/महिला/अपंग/पूर्व सैनिक को पांच साल तक की छुट

10 लाख रूपए तक की योजना के लिए शैक्षणिक योग्यता 7 वी पास और

25 लाख रूपए तक की योजना के लिए शैक्षणिक योग्यता 10 वी पास

वह उम्मीदवार जिन लोगों ने केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त
कर रहे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

परियोजना लागत

प्रसंस्करण और विनिर्माण परियोजनाओं के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये और सेवा / कृषि
पूरक उद्योग श्रेणी (उत्पादन) परियोजनाओं के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये।

योजना कार्यान्वयन तंत्र

अ) शहरी क्षेत्रों के लिए जिला उद्योग केंद्र

आ) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला खादी व ग्रामोद्योग कार्यालय

योग्य मालिकाना घटक

व्यक्तिगत स्वामित्व,

भागीदारी

वित्तीय संस्था द्वारा अनुमोदित बचत समूह

योजना की कुल लागत में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता (मार्जिन मनी -
अनुदान

श्रेणियाँ	स्वयंद्वारा योगदान	आर्थिक सहायता		बैंक से कर्ज	
		शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
सर्वसामान्य	10%	15%	25%	75%	65%
विशेष वर्ग - अनुसूचितजाती/जनजाती/महिला/अपंग/पूर्व सैनिक	5%	25%	35%	70%	60%

बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा सहायता

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्वयंयोगदान व राज्यसरकार (अनुदान के रूप में)
आर्थिक सहायता या अतिरिक्त सहायता 60 से 75 प्रतिशत आर्थिकसहायता बैंक द्वारा
उपलब्ध करायी जाएगी। राज्य की राष्ट्रीयकृत बैंक, शैड्यूल बैंक, निजी बैंकों के माध्यमों से
बैंक कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रशिक्षण

इस योजना के तहत चयनित आवेदकों को मुफ्त में उद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें
उत्पाद श्रेणी परियोजनाओं के लिए 2 सप्ताह

और सेवाएँ, कृषि पूरक उद्योग व्यवसाय के लिए 1 सप्ताह

आवश्यक दस्तावेज

- जन्म प्रमाणपत्र/ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट / आयु प्रमाणपत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र

- फोटो
- पैनकार्ड
- आधार कार्ड
- नियोजित उद्योग/ व्यवसाय परिसर से संबंधित दस्तावेज (सादे कागज पर प्रारंभिक सहमति) (बैंक की मंजूरी के बाद पंजीकृत दस्तावेज बैंक में ही जमा करना होगा।
- जाती प्रमाणपत्र (एस.सी/ एस.टी)
- विशेष वर्गों के लिए पूरक प्रमाणपत्र (विकलांग / भूतपूर्व सैनिक)
- स्व-हस्ताक्षरित निर्धारित पैटर्न में वादा पत्र (undertaking)

नीचे दिए गए वेबसाइट के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है-

www.maha.cmegp.gov.in